

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 31-05-2021

आज दिनांक 31.05.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

गैर इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 238 / 2021 धारा 323 / 504 / 506 /304 भा0द0वि0 व 3(ii)(v) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता 1- बब्बन सिंह पुत्र चन्द्रिका सिंह 2- लल्लन सिंह पुत्र जंगी सिंह निवासीगण किशुनपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तों द्वारा दिनांक 21.05.2021 को उसी गांव के जवाहिर लाल पुत्र टीड़ी को मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिनकी दौराने इलाज बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में मृत्यु हो गई थी । घटना के संबंध में मृतक के भाई द्वारा थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 राममगन भारती ।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 1679 रुपये नकद व ताश के 208 पत्तों के साथ 17 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 02 अभियुक्तगण नाम पता 1 – वीरेन्द्र कुमार पुत्र झिनकाई 2- राहुल पुत्र उदयभान यादव निवासीगण मोलनापुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को 160 रुपये मालफड़, 110 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 165/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, का0 संतोष यादव, का0 शिवजी चौरसिया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तगण नाम पता 1 – विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र 2- योगेश कुमार पुत्र विजयपाल 3- अमित कुमार पुत्र राधेश्याम 4-

अनिल कुमार पुत्र महादेव निवासीगण महुली खास थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को 250 रुपये मालफड़, 100 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 168/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री पारसनाथ यादव, हे0का0 मो0 आरिफ खां, का0 शैलेन्द्र।

थाना महुली पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – योगेन्द्र पुत्र गोमती 2- सलाहुद्दीन पुत्र युसुफ 3- गुड्डू पुत्र शाहू निवासीगण महुली खास थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को 150 रुपये मालफड़, 50 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 170/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रमेश तिवारी, हो0का0 मो0 आरिफ खां, का0 अंजेश गुप्ता, का0 अजीत कुशवाहा, का0 अरमान खां।

थाना महुली पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 02 अभियुक्तगण नाम पता 1 – मनोज कुमार पुत्र रामकरन 2- शिवकुमार पुत्र प्रभु चौहान निवासीगण साखी थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को 50 रुपये मालफड़, 100 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 171/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, हे0का0 राजेश गौड़, का0 शरद कुमार राय, का0 धन्नजय सिंह।

थाना महुली पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – राजाराम पुत्र सिकन्दर 2- सिकन्दर पुत्र हजारी 3- आदर्श पुत्र रामबरन निवासीगण साखी थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को 100 रुपये मालफड़, 200 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 172/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, हे0का0 राजेश गौड़, का0 शरद कुमार राय, का0 धन्नजय सिंह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तगण नाम पता 1 – बिहारी पुत्र रामललित 2- विनोद पुत्र रामशब्द 3- इन्द्रेश पुत्र रामसुभग निवासी ढोढया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को 60 रुपये मालफड़, 349 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52

पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 158/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री उदयशंकर द्विवेदी मय हमराह ।

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 03 अदद अवैध चाकू के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र पुत्र सन्तलाल निवासी माझाचहोड़ा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 270 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री मनोज कुमार पटेल, हे0का0 विजय सिंह, का0 संतोष कुमार यादव ।

थाना महुली पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता साहेब उर्फ अभिषेक पासवान पुत्र सुरेश निवासी औरहिया थाना पनियरा जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 169 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रमोद यादव, हे0का0 रामभवन गुप्ता ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता अजय कुमार मौर्य पुत्र चन्द्रभूषण मौर्य निवासी टोला सथवनिया बालेपार थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 89 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अमर सिंह, का0 श्याम नरायन यादव, का0 नागेन्द्र गुप्ता ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 07 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता अमरजीत पुत्र गौरीशंकर निवासी देउरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 182/2021 धार 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का0 सुरेन्द्र यादव, का0 मेराज अली ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 23 शीशी बंटी बबली -10 ली0 (कुल लगभग 15 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- रविन्द्र साहनी पुत्र संतबली साहनी निवासी महुली खास 2- पन्नेलाल पुत्र रामराज राजभर निवासी सगड़वा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर क्रमशः मु0अ0सं0 166/2021 व 167/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालजी यादव, उ0नि0 श्री पारसनाथ यादव, हे0का0 सुरेन्द्र प्रसाद, हे0का0 क्यूम अंसारी, का0 योगेन्द्र कुशवाहा, हे0का0 उमेश यादव, हे0का0 मो0 आरिफ खां, का0 शैलेन्द्र ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 20-05-05 (कुल 30 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- सिद्धू पुत्र झिंकर निवासी नगवाटोला बिचऊपुर 2- उत्तम साहनी पुत्र मुखु निवासी करमैनी 3- महेन्द्र कुमार पुत्र जयराम निवासी बेलौहा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 138/2021, 139/21 व 140/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, उ0नि0 श्री सौरभ मिश्रा, हे0का0 पारस राय, हे0का0 सतीश मिश्रा, हे0का0 अवधेश शर्मा, हे0का0 रामदुलार यादव ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता शिवमूरत पुत्र स्व0 छविराज निवासी डिहुलिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 157/2021 धार 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रमेश यादव, का0 सत्यप्रकाश, का0 रोहित ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 18 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 2548 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत पैली खास से इवेन्ट संख्या 04598 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को जरिये एम्बुलेंस अस्पताल भेजवाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति का इलाज कराकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 अरविन्द कुमार, मु0आरक्षी रामानन्द चौधरी, हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 वाहनो से 129700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.05.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 146 वाहनो से 129700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।